भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 115

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

सी.ई.ओ. का वेतन

***115. श्री राधेश्याम बिश्वासः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के वेतन पर कोई अधिकतम सीमा तय की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीईओ के वेतन की अधिकतम सीमा क्या है;
(ग) क्या कुछ कंपनियां अपने सीईओ को निर्धारित सीमा से अधिक वेतन दे रही हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>सी.ई.ओ. के वेतन से संबंधित दिनांक 09.02.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण</u>

(क) से (घ): किसी पब्लिक कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय कार्मिकों जिसमें बोर्ड स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी शामिल हैं, को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक का विनियमन कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-V के साथ पठित धाराओं 197 से 200 तक और इनके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन किया जाता है। किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी द्वारा इसके सभी निदेशकों को अदा किए जाने वाला कुल पारिश्रमिक उस वर्ष के लिए कम्पनी को हुए निवल लाभ के 11% से अधिक नहीं होगा। हानि या कम लाभ के मामले में पारिश्रमिक केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना अदा किया जा सकता है बशर्ते वह निर्धारित सीमा के अंदर हो और अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो। यदि कोई कम्पनी ऐसे प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाती है तो इसकी अदायगी केवल केन्द्र सरकार के अनुमोदन से ही हो सकती है।

*****